प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, आगरा, अलीगढ़
वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, कानपुर।

आवास अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 1996

विषय :नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत शासन में निहित एवं कब्जे में ली गयी भूमि का निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान प्रक्रिया अनुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत सीलिंग से अप्रभावित भूमि को कम करते हुये सीमाधिक्य भूमि की गणना सक्षम पदाधिकारियों द्वारा की जाती है और आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् धारा–10(3) व 10(5) के अन्तर्गत सीमाधिक्य भूमि के अन्तिम रूप में शासन में निहित हो जाने एवं कब्जा प्राप्त हो जाने पर उसका आवंटन/निस्तारण अधिनियम की धारा–23 के अधीन राज्य सरकारों द्वारा शासनादेश संख्या–559/उन्चास– 109 यू0सी0/82, दिनांक 27–2–1984 एवं शासनादेश संख्या–317/9–न0भू0/96–109 यू0सी0/81, दिनांक 27–2–1996 में विहित विधि प्रक्रिया एवं शर्तों के अनुसार किया जाता है। इस शासनादेश के अनुसार सीलिंग की भूमि आवंटित करने में विकास प्राधिकरणों आवास एवं विकास परिषद और विभिन्न सरकारी विभागों/उपक्रमों को अपने कर्मचारियों के आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जाती हैं। इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि धारा–10(5) के अन्तर्गत कब्जे में ली गयी काफी भूमि आवंटन हेतु अवशेष पड़ी है और ऐसी भूमि के आवंटन में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है, जिसके फलस्वरूप ऐसी भूमि पर अवैध कब्जे एवं निर्माण की सम्भावना सदैव बनी हुयी हैं। इन अवशेष पड़ी भूमि के त्वरित आवंटन/निस्तारण के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन में उक्त शासनादेशों दिनांक 27–2–1984 व 27–2–1996 तथा अन्य तत्सम्बन्धी शासनादेशों को आंशिक रूप से संशोधित करते हुये निम्न निर्णय लिये हैं :–

(1) नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन में निहित समस्त सीमाधिक्य भूमि नजूल भूमि की तरह विकास प्राधिकरणों को रख रखाव के लिये हस्तान्तरित कर दी जायेगी, जिसका उपयोग उनके द्वारा आवश्यकतानुसार शासन के निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा, जो भूमि विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को अपनी योजनाओं के लिये उपयुक्त न होगी, यह भी विकास प्राधिकरणों की अभिरक्षा में ही रहेगा।

(2) अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपकरणों को राज्य सरकार में निहित ऐसी सीमाधिक्य भूमि का आवंटन शासनादेश दिनांक 27–2–1984 उल्लिखित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अब सीधे किया गया जायेगा तथा आवंटित भूमि का निर्धारित भू–मूल्य जमा हो जाने पर उसका कब्जा आवंटी विभाग को जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा सीधे दे दिया जायेगा। अतः इस कोटि के प्रकरणों का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भी स्पष्ट करना है कि यदि आवंटी विभाग द्वारा दीर्घ अवधि तक आवंटित भूमि का मूल्य सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा नहीं किया जाता है तो ऐसे मामलों में जिलाधिकारी उसी भूमि को आवश्यकतानुसार किसी दूसरे इच्छुक विभाग के पक्ष में भी आवंटित कर सकते हैं। ऐसे आवंटनों के लिये शासनादेश दिनांक 27–2–1984 के अनुसार गठित आवंटन समिति में सदस्य सचिव, सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के स्थान पर अब सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/सचिव होंगे जो बैठक का आयोजन करायेंगे। सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण, समिति की सदस्य की हैसियत से अपना प्रभावी सहयोग देंगे।

(3) विकास प्राधिकरणों की जो भूमि हस्तान्तरित हो जायेगी उस पर अवैध कब्जे व निर्माण हटाने की कार्यवाही सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा ही यथाआवश्यक जिला प्रशासन की सहायता लेकर की जायेगी।

(4) समस्त सीमाधिक्य भूमि जो विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित होगी, से सम्बन्धित अभिलेखों की रख–रखाव विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया जायेगा।

(5) शासनादेश दिनांक 27–2–1984 व 27–2–1996 तथा एतद्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों में अन्य व्यवस्थायें पूर्ववत रहेंगी।

2. अनुरोध है कि क पया उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अखण्ड प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्याः 2893(1)/9–न0भू0–96 तददिनांक।

1. मण्डलायुक्त, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, पौड़ी गढ़वाल।
2. आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. सक्षम प्राधिकारी, समस्त नगर बस्ती, उत्तर प्रदेश को इस अभ्युक्ति सहित कि इसका व्यापक प्रचार व प्रसार कराया जाय।
5. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, आगरा, लखनऊ, अलीगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद व कानपुर।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।
7. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शिशिर कुमार यादव
अनु सचिव।